भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *288

7 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्रधान मंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत निधियों का आवंटन

†*288. श्री अनुराग सिंह ठाकुरः

डॉ. के. सुधाकरः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-अभिम) के अंतर्गत देशभर में स्वीकृत की गई एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं, ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों और क्रिटिकल केयर ब्लॉकों और उनके कार्यान्वयन की स्थिति का विशेषकर हिमाचल प्रदेश, चिक्काबल्लापुर जिले सहित कर्नाटक में तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त राज्यों में उक्त घटकों के लिए स्वीकृत और जारी की गई तथा उपयोग में लाई गई निधियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त राज्यों में इस मिशन के कार्यान्वयन की कोई समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

7 अगस्त, 2026 के लिए जन सभा तारांकित प्रश्न सं. 288 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-अभिम) एक केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है, जिसमें केन्द्रीय क्षेत्र (सीएस) के कुछ घटक भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी, जन स्वास्थ्य कार्यों तथा स्वास्थ्य अनुसंधान के एकीकरण के माध्यम से भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाना है, जिससे महामारी तथा अन्य जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता में वृद्धि हो सके।

पीएम-अभिम के सीएसएस घटक के अंतर्गत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2,151 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू), 744 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) तथा 631 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों (सीसीबी) के निर्माण/सुदृढ़ीकरण एवं स्थापना के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। हिमाचल प्रदेश तथा कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर जिले सहित अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ब्यौरे **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं।

पीएम-अभिम के अंतर्गत, अनुमोदित कार्यकलापों के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एकमुश्त आधार पर निधियां जारी की जाती हैं, जिससे वे अपनी आकलित आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुसार निधियों का उपयोग कर सकें। केन्द्र द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक हिमाचल प्रदेश एवं कर्नाटक के लिए पीएम-अभिम के अंतर्गत जारी निधि तथा व्यय का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

जन स्वास्थ्य एवं अस्पताल राज्य के विषय हैं तथा योजना का कार्यान्वयन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की जिम्मेदारी है। पीएम-अभिम के अंतर्गत निगरानी एक सुदृढ़ बहु-स्तरीय व्यवस्था के माध्यम से की जाती है, जिसमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आयोजित एनपीसीसी बैठकों के दौरान अनुमोदित लक्ष्यों के सापेक्ष राज्य-वार प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मासिक समीक्षा बैठकें तथा आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) के माध्यम से कार्यनिष्पादन का नियमित मूल्यांकन शामिल है। इसके अतिरिक्त, ऐन्यूअल कॉमन रिव्यू मिशनों (सीआरएम) से कार्यक्रम कार्यान्वयन, स्वास्थ्य प्रणाली संवर्धन तथा प्रमुख संकेतकों पर प्रगति का निष्पक्ष जमीनी आकलन संभव हो पाता है, जिससे कमियों की पहचान, सुधारात्मक कार्रवाई तथा राज्य एवं जिला स्तर पर जवाबदेही को सुदृढ़ करने में सहायता मिलती है।

आवधिक समीक्षाओं से कार्यान्वयन की अधिक प्रभावी निगरानी, कार्यान्वयन संबंधी बाधाओं का समाधान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बेहतर समन्वय तथा अनुमोदित स्वास्थ्य केंद्रों का समयबद्ध निर्माण एवं परिचालन सुविधाजनक हुआ है।

अनुलग्नक-I

पीएम-अभिम के सीएसएस घटक के अंतर्गत अनुमोदित इकाइयों, निर्माणाधीन कार्यों तथा कार्यशील इकाइयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क. ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयां (बीपीएचयू)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**अनुमोदित इकाइयां**	**निर्माणाधीन कार्य (कार्यशील)**
1	असम	207	93 (78)
2	बिहार	158	59
3	छत्तीसगढ़	91	50 (41)
4	हिमाचल प्रदेश	73	68
5	जम्मू एवं कश्मीर	287	267 (20)
6	झारखंड	165	96 (44)
7	मध्य प्रदेश	196	104 (92)
8	ओडिशा	197	62 (130)
9	राजस्थान	184	43 (141)
10	उत्तर प्रदेश	515	68 (417)
11	उत्तराखंड	78	55 (20)

ख. एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं (आईपीएचएल)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित इकाइयां	निर्माणाधीन कार्य (कार्यशील)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	3	1 (2)
2	आंध्र प्रदेश	26	12 (14)
3	अरुणाचल प्रदेश	22	17 (5)
4	असम	33	9 (10)
5	बिहार	38	38
6	चंडीगढ़	1	(1)
7	छत्तीसगढ़	28	11 (17)
8	दिल्ली	11	11 (0)
9	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	3	(3)
10	गोवा	2	(2)
11	गुजरात	33	23 (7)
12	हरियाणा	22	(22)
13	हिमाचल प्रदेश	12	12
14	जम्मू एवं कश्मीर	20	17 (3)
15	झारखंड	24	11 (6)
16	कर्नाटक	31	14 (17)
17	केरल	14	7 (7)
18	लद्दाख	2	(2)
19	लक्षद्वीप	1	(1)
20	मध्य प्रदेश	55	26 (29)
21	महाराष्ट्र	36	14 (22)
22	मणिपुर	15	13 (2)
23	मेघालय	10	9 (1)
24	मिजोरम	10	3 (7)
25	नागालैंड	11	9 (2)
26	ओडिशा	30	13 (15)
27	पुडुचेरी	4	(4)
28	पंजाब	22	14 (8)
29	राजस्थान	33	24 (9)
30	सिक्किम	3	(3)
31	तमिलनाडु	38	5 (33)
32	तेलंगाना	33	2 (31)
33	त्रिपुरा	7	5 (2)
34	उत्तर प्रदेश	75	14 (53)
35	उत्तराखंड	13	8
36	पश्चिम बंगाल	23	17 (6)

नोट: कर्नाटक सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, चिक्कबल्लापुर जिले में एक एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला (आईपीएचएल) को अनुमोदित किया गया है।

ग. क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित इकाइयां	निर्माणाधीन कार्य (कार्यशील)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1	1
2	आंध्र प्रदेश	24	24
3	अरुणाचल प्रदेश	1	0
4	असम	27	18
5	बिहार	38	35
6	चंडीगढ़	1	0
7	छत्तीसगढ़	23	21
8	दिल्ली	9	0
9	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	1	(1)
10	गोवा	2	0
11	गुजरात	32	25 (3)
12	हरियाणा	22	8
13	**हिमाचल प्रदेश**	**9**	**8**
14	जम्मू एवं कश्मीर	10	9
15	झारखंड	23	22
16	**कर्नाटक**	**34**	**27 (4)**
17	केरल	14	11
18	मध्य प्रदेश	50	42 (8)
19	महाराष्ट्र	36	36
20	मणिपुर	2	2
21	मेघालय	3	3
22	मिजोरम	1	1
23	नागालैंड	1	1
24	ओडिशा	28	20 (6)
25	पुडुचेरी	4	4
26	पंजाब	22	22
27	राजस्थान	38	32 (1)
28	सिक्किम	1	1
29	तमिलनाडु	39	22 (15)
30	तेलंगाना	31	21 (9)
31	त्रिपुरा	2	1
32	उत्तर प्रदेश	74	63
33	उत्तराखंड	5	4
34	पश्चिम बंगाल	23	22

नोट: कर्नाटक सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, चिक्कबल्लापुर जिले में एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) अनुमोदित किया गया है।

अनुलग्नक-II

वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक हिमाचल प्रदेश एवं कर्नाटक के लिए पीएम-अभिम के अंतर्गत केन्द्र द्वारा जारी निधि एवं व्यय

(रुपये करोड़ में)

वित्त वर्ष	**हिमाचल प्रदेश**		**कर्नाटक**	
	केन्द्र द्वारा जारी निधि	**व्यय**	**केन्द्र द्वारा जारी निधि**	**व्यय**
2023-24	15.69	15.27	100.57	104.47
2024-25	44.81	52.92	118.91	198.19
2025-26	93.27	103.63	199.75	332.91

टिप्पणियां:

1. उपर्युक्त जारी निधि केवल केन्द्र सरकार के अनुदान से संबंधित है तथा इसमें राज्य के हिस्से का योगदान शामिल नहीं है।
2. व्यय में केन्द्र द्वारा जारी निधि, राज्य द्वारा जारी निधि तथा वर्ष के प्रारम्भ में उपलब्ध अप्रयुक्त शेष राशि के लिए किया गया व्यय शामिल है।
3. व्यय का विवरण राज्य द्वारा प्रस्तुत वित्तीय निगरानी प्रतिवेदनों (एफएमआर) पर आधारित है तथा यह अनंतिम है।
